

# चीन, रुस नॉर्थ कोरिया व ईरान, एस.सी.ओ. के नये ‘‘कोर ग्रुप’’ के रुप में उभरा

भारत, इस नई व्यवस्था का महत्वपूर्ण सदस्य तो हैं, पर ‘‘कोर ग्रुप’’ से अलग सा भी हैं

—अंजन रॉय—  
—अमेरिका में राष्ट्रदूत के प्रतिनिधि—  
वॉशिंगटन, 2 सितम्बर। शंघाई को—ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) कभी ऐसा संगठन माना जाता था, जिसकी सालाना बैठक होती तो थी, लेकिन उनका कोई खास महत्व नहीं होता था। तथापि, इस बार चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रही बैठक पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है और यह एलान कर रही है कि एक नया वैश्विक ढांचा बन रहा है, और जो मिलकर एक ऐसी ताकत बनने जा रहा है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। यह वैकल्पिक व्यवस्था, जो अब तक अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबदबे में थी, अब पूरी तरह चीन के इर्द-गिर्द घूम रही है। इससे साफ हो गया है कि चीन अब अमेरिका का असली मुकाबला करने वाली ताकत बन चुका है और राष्ट्रपति क्लादिमीर पुतिन, जो बीजिंग में एस.सी.ओ. बैठक में भाग ले रहे हैं, के लिए यह स्थिति बेहद दुखद

- साहोद्री व मैत्री के सार्वजनिक इज़हार के बावजूद चीन व भारत के बीच कई भारी मतभेद भी हैं, जिनकी अनदेखी सदा के लिये नहीं की जा सकती।
- अतः अमेरिका व पश्चिमी देशों के समूह व चीन के नेतृत्व वाले एस.सी.ओ. संगठन के बीच भारत अकेला सा खड़ा है।
- कुछ ऐसी ही स्थिति रूस की है। जो, शीत युद्ध के जमाने के ‘‘सुपर पावर’’ के गरिमापूर्ण पद से अब केवल चीन की ओर देखने वाला राष्ट्र हो गया हैं। जो चीन की ओर, धन, हथियार व स्पेयर पार्ट्स के लिये देखता है। रूस, ईरान का भी आभारी है, क्योंकि ईरान द्वारा भेजे गए आधुनिक ‘‘ड्रोन्स’’ की उसे बहुत आवश्यकता हैं, यूक्रेन के ‘‘फायर पावर’’ का मुकाबला करने के लिये। नॉर्थ कोरिया भी ‘‘कोर ग्रुप’’ का महत्वपूर्ण सदस्य इसलिए हैं, क्योंकि, उसने रूस की तरफ से लड़ने के लिये कोरिया से अपने सैनिक भेजे हैं।
- एक अजीबोगरीब बात यह भी है कि अमेरिका का प्रयास था, कि वह रूस को अलग-थलग कर देगा देशों की अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत से। पर, उल्टा हो गया। अमेरिका, अलग-थलग पड़ गया हैं, और यूरोप व पश्चिमी देशों के बाड़े में कैद हो गया है. तथा रूस, कम्ज़ोर ही सही ‘‘अन्य देशों’’ की मंडली में आराम से बैठा है।

है। वह एक तरह से चीन के अधीनस्थ दिखाई दे रहे हैं। रूस अब चीन पर निर्भर रहने वाला देश बनता जा रहा है।

राष्ट्रपति पुतिन ने जो सपना देखा था, रूस को ‘‘शाही ताकत’’ को फिर से पाने और अमेरिका को टक्कर देने वाली

एकमात्र महाशक्ति बनने का, वह बिल्कुल उल्टा साबित हुआ है। अब रूस (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

आठ साल से भू-अभिलेख निरीक्षण पदोन्नति परीक्षा क्यों नहीं हुई?

## ‘कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से हमें हराने के लिए भाजपा की मदद की’

आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने प्रैस कांफ्रेंस में कांग्रेस पर खुला आरोप लगाया

— जाल खंबाता —  
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली में भाजपा लम्बे समय से आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्य प्रतिद्वन्दी रही है। लेकिन आप ने राष्ट्रीय राजधानी में पिछले लगभग एक दशक से चुनावी रूप से हाशिये पर रही कांग्रेस को अपने निशाने पर ले लिया। इस राजनीतिक टकराव की जड़ दिल्ली नहीं, बल्कि पंजाब है, जो देश का ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां फिलहाल आप की सरकार है। आप ने कांग्रेस पर तीखा हमला दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के एक इंटरव्यू के बाद किया, जिसे आप के सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया। वीडियो में यादव यह कहते हुए सुने गए कि पार्टी ने आप को हराने के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा भाजपा को हुआ। यादव ने पार्टी

- उन्होंने कहा कांग्रेस ने आप को हराने के लिए आप के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपने दिग्गज नेता खड़े किए जैसे केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित, मनीष सिंसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी, आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतारा गया।
- आप ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव के इंटरव्यू के आधार पर यह सनसनीखेज आरोप लगाया और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।

की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, ‘‘अगर आप को हराना है, तो मनीष सिंसोदिया, और अरविंद केजरीवाल को हराना जरूरी है। इसमें हम कुछ हद तक सफल रहे हैं।’’ जब उनसे पूछा गया कि अगर इसके चलते भाजपा को फायदा हुआ तो क्या वह स्वीकार्य होगा तो यादव ने जवाब दिया, ‘‘सैंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में यह बात खड्गे जी

और राहुल गांधी जी से हुई चर्चा में आई थी और हमने तय किया था कि हमें पूरी ताकत से लड़ना चाहिए।’’

इन टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, आप की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे एक ‘‘बड़ा रहस्योद्घाटन’’ बताया तथा उन्होंने (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

जयपुर, 2 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के आठ साल बाद भी पटवारी के पद से भू-अभिलेख निरीक्षक पद पर प्रमोशन के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा नहीं

- हाई कोर्ट ने रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार को 8 सितंबर को शपथ पत्र पेश करने के निर्देश दिये।

होने पर रैवेन्यू बोर्ड के रजिस्ट्रार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अदालत ने 8 सितंबर तक को शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि बोर्ड ने साल 2017 के आदेश और 7 मार्च 2019 को विज्ञापन जारी होने पर भी विभागीय पदोन्नति के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित क्यों नहीं करवाई। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश विवेक शर्मा की याचिका पर दिए। याचिका में अधिवक्ता विजय दत्त शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2017 को सतीश सिंह बनाम (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## ‘मेरे पास तमिनलाडु व केरल का ‘‘चार्ट’’ है, जब राज्यपाल ने कब -कब कितना विलम्ब किया, विधेयक को स्वीकार करने में’

अभिशेख मनु सिंघवी, के इन दावों के प्रत्युत्तर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मेरे पास भी अन्य राज्यों का चार्ट है, जहां कब-कब राज्यपाल ने कितनी देरी लगाई अपने सहमति देने में

— जाल खंबाता —  
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल की शक्तियों के मामले में उसका निर्णय इस पर निर्भर नहीं करेगा कि केंद्र या राज्य में कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में है। अदालत राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए उस संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी जिसमें अप्रैल के फैसले पर सवाल उठाया गया है। इस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय—सीमा तय की गई थी। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पीएस नरसिम्हा और अतुल एस चंद्रकर शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह

- मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा, सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक मंच न बनाये, अपने राजनीतिक सोच को प्रकट करने के लिये।
- सुप्रीम कोर्ट में, राज्यपाल व राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक के बारे में अपना निर्णय देने के लिये समय निर्धारण का मामला था।
- सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि, किस राज्यपाल ने कितना विलम्ब किया, अपना निर्णय देने में, ऐसे चार्ट प्रस्तुत करना कोई सम्मानजनक बात नहीं है, यह मामला आखिरकार, राष्ट्रपति मुर्मू ने कानूनी स्थिति की व्याख्या करने के लिये सुप्रीम के सम्मुख भेजा है। पर अगर वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो भी तैयार हूं।
- सिंघवी ने प्रत्युत्तर में कहा, ‘‘मिस्टर मेहता धमकी नहीं चलेगी।’’

संदर्भ सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा, हम इस मुद्दे पर निर्णय राजनीतिक परिस्थितियों या सत्ता में कौन है, या कौन था इस आधार पर नहीं करेंगे। यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (तमिलनाडु राज्य की ओर से) और सॉलिसिटर जनरल तुषार

नहीं करेंगे। यह टिप्पणी उस समय आई जब वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी (तमिलनाडु राज्य की ओर से) और सॉलिसिटर जनरल तुषार

तमिलनाडु और केरल के आंकड़े हैं, इस पर मेहता ने विरोध किया और कहा कि उनके पास अन्य राज्यों के आंकड़े भी हैं। उन्होंने कहा, अगर वह गंदे रास्ते पर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं भी तैयार हूं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। यह एक राष्ट्रपतीय संदर्भ है। जवाब में सिंघवी ने कहा, धर्मकार्यों से कुछ नहीं होगा। सिंघवी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि मेहता सदैव धार्मिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 200 किसी समय—सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।

अस्तित्व में आने के समय से था। गवई ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि यह मंच राजनीतिक बहस का अड्डा बने। यह राष्ट्रपतीय संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल के फैसले के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को विधेयकों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा और सदैव धार्मिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 200 किसी समय—सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।

गवई ने यह भी कहा, हम नहीं चाहते कि यह मंच राजनीतिक बहस का अड्डा बने। यह राष्ट्रपतीय संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के 11 अप्रैल के फैसले के बाद आया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल केस में फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा था कि राज्यपालों को विधेयकों पर उचित समय के भीतर निर्णय लेना होगा और सदैव धार्मिक मौन का उपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा था कि यद्यपि अनुच्छेद 200 किसी समय—सीमा का उल्लेख नहीं करता, फिर भी इसका यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि राज्यपाल अनिश्चित काल तक निर्णय लेने से बचते रहें।

## चन्द्रबाबू नायडू के राजनीतिक जीवन के तीस साल पूरे होने पर जश्न का माहौल क्यों नहीं है एन.डी.ए. में?

भाजपा चौकसी है, क्योंकि एक तरफ तो बिहार चुनाव का ‘‘टैंशन’’ है, दूसरी ओर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के मौके पर दरारें उभर रही हैं, एन.डी.ए. में

- नायडू के करीबी सलाहकार सरकार द्वारा संसद में उपराधिक गतिविधियों में लिप्त सांसदों, मंत्रियों की सदस्यता खत्म करने के सम्बंध में पेश विधेयक को भी संशय कि दृष्टि से देख रहे हैं, और प्रचारित कर रहे हैं की इस विधेयक को लाने का मुख्य ध्येय, चन्द्रबाबू नायडू के पर कतरना है।
- सांसदों में इस विधेयक को लेकर फैली बेचैनी के दौरान नायडू की भूमिका काफी ‘‘निर्णायक’’ हो जाती है और नायडू की, राष्ट्रीय राजनीतिक मंच पर उच्चतम पद की आशाएं जगाना कोई, असंभव बात नहीं है। अगर इस गफलत में नये राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो चन्द्रबाबू नये ‘‘कॉम्प्रोमाइज़’’ उम्मीदवार बन सकते हैं, उच्चतम पद के लिये।

विधेयक है, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘‘क्रैडिलिली बिल’’ बताया जा रहा है। टीडीपी सूत्रों के अनुसार, नायडू इस विधेयक से खुश नहीं हैं, और यह असंतोष पार्टी के सांसदों तक भी पहुंच चुका है। आंध्र प्रदेश के बहुत से लोग इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नायडू पर दबाव बनाने का साधन मान रहे हैं, ताकि उनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच को नियंत्रित किया जा सके।

नायडू के करीबी रणनीतिकारों ने संकेत दिए हैं कि टीडीपी प्रमुख वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता को एक दुर्लभ अवसर के रूप में देख रहे हैं। भाजपा के भीतर असंतोष और एनडीए में उभरी दरारें उभरने के बीच, गठबंधन समीकरणों में फेरबदल की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। टीडीपी के एक नजदीकी सूत्र ने नायडू की लम्बे समय से पोषित राष्ट्रीय (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

## दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील की जमानत याचिका खारिज की

ये दोनों 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश रचने के मुख्य आरोपी हैं

— डॉ. सतीश मिश्रा —  
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —  
नई दिल्ली, 2 सितम्बर। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं एक बार फिर खारिज कर दीं।

न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शालिंदर कौर को पीठ ने इस मामले से जुड़ी सभी अपीलों को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी कर ली थी। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के लिए यह छठी बार था जब उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। इससे पहले वे तीन बार सत्र न्यायालय, दो बार दिल्ली हाई कोर्ट से उनकी याचिका खारिज हो चुकी हैं, और एक बार सुप्रीम कोर्ट से उन्हें याचिका वापस लेनी पड़ी थी।

- दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने इस मामले में कहा कि उन्होंने साज़िश रचकर दंगा भड़काया था, देश की छवि खराब करने के लिए। बेहतर होगा कि बरी होने तक वे जेल में ही रहें।
- जवाहर लाल नेहरू युनिवर्सिटी के छात्र नेता उमर खालिद का जमानत पाने का यह छठा असफल प्रयास था।

इस मामले में अन्य आरोपियों में अथर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं। उमर खालिद ने गत माह अपना 38वां जन्मदिन पिछले महीने तिहाड़ जेल में मनाया, जहां वे पिछले पांच वर्षों से बंद हैं। जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने उमर और अन्य आरोपियों की वर्ष 2022, 2023 और 2024 में दायर

जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब खारिज कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा था, अगर आप देश के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, तो जब तक आप बरी नहीं होते या दोषी नहीं ठहराए जाते, तब तक आपको जेल में रहना चाहिए। राजधानी में दंगे हुए, जिनमें 100 पुलिसकर्मी और 41 अन्य घायल हुए और एक पुलिसकर्मी की जान गई।

अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह दंगे स्वतःस्फूर्त नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश का नतीजा थे, जिनका उद्देश्य समाज में विघटन और अराजकता फैलाना था। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य पर पैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम और की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

## अफगानिस्तान में 24 घंटे में ही दूसरा भूकंप

काबुल, 02 सितंबर। अफगानिस्तान में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। मंगलवार को दक्षिण-पूर्वी हिस्से में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले अफगानिस्तान के जलालाबाद में रविवार रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप से मरने वालों की संख्या

- भूकंप से अब तक 1411की मौत हो गई हैं और 3250 लोग घायल हो गए हैं। दूसरे भूकंप की तीव्रता 5.5 थी।

अब तक 1411 हो गई हैं, जबकि घायलों का आंकड़ा 3250 से ज्यादा हो गया है। रविवार को जिस वक्त भूकंप आया, तब ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से वे इमारतों के मलबे में दब गए। मुताबिक तालिबान ने इसकी जानकारी दी है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दुनियाभर से मदद मांगी है। इसके बाद भारत ने मदद के लिए 1000 टेंट काबुल भेजे हैं। साथ ही, 15 टन खाने का सामान, काबुल से कुनार भेजा। भारत की ओर से अफगानिस्तान के भूकंप प्रभावितों की सहायता के लिए भेजी गयी सहायता सामग्री मंगलवार को काबुल पहुंच गयी। हाई मार्ग से भेजी गयी सहायता (शेष अंतिम पृष्ठ पर )

विचार बिन्दु

आत्मा एक चेतन तत्त्व है, जो अपने रहने के लिए उपयुक्त शक्ति का आश्रय लेता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। भौतिक शरीर इस आत्मा को धारण करने के लिए विवश होता है। –गेटे

धर्मांतरण का अपराधिक कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025 को 3 फरवरी, 2025 को राज्य विधानसभा के बजट सत्र के दौरान पेश किया गया था। अब घोषणा की गई है कि उसे पारित करने से पहले राज्य मंत्रिमंडल ने उसे और अधिक कठोर बनाया है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकना बताया गया है। विधेयक में अवैध धर्म परिवर्तन को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अपराधियों को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक का परिचय जबरन धर्मांतरण के उन बढ़ते मामलों को रोकने की व्यवस्था के रूप में दिया गया है, जिसे इन दिनों ‘लव जिहाद’ कहा जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल भाजपा और उसके सहयोगी उन मामलों का वर्णन करने के लिए करते हैं जहां मुस्लिम पुरुष कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से विवाह उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए करते हैं। सरकार का तर्क है कि यह विधेयक कमजोर व्यक्तियों को धर्मांतरण से बचाएगा। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नये कठोर विधेयक को मंजूरी देना शासनकूट दल के अति उत्साह को दर्शाता है। हालांकि, ऐसे विधेयक का विरोध करने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक विभाजन पैदा करने के व्यापक एजेंडे का हिस्सा है किन्तु सरकार का तर्क है कि यह कानून राज्य में सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य धर्मांतरण से जुड़ी जटिलताओं से निबटना है।

राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का पहला प्रयास 2006 में किया था, जब भाजपा नेता वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार सत्ता में आई थीं। राजस्थान धर्म स्वतंत्रता विधेयक, 2006 का उद्देश्य बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना था। कांग्रेस, मानवाधिकार संगठनों और अल्पसंख्यक समूहों ने यह कह कर उसका विरोध किया था कि यह कानून हिंदू समूहों को खुश करने के लिए धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने वह विधेयक वापस कर दिया था। फिर 2008 में, संबंधित जिला कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य करने सहित नए प्रावधानों के साथ विधेयक का संशोधित संस्करण भी केंद्र के पास अटका रहा। राजे ने मुख्य मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल (2013–2018) में 2008 के विधेयक को लागू करवाने की कोशिश की और उसे केंद्र के सामने रखा, जिसने नवंबर 2017 में यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह राष्ट्रीय नीति से भटक गया है। कानून के अभाव में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2017 में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। वैसे धर्मांतरण विरोधी कानून, जिन्हें अक्सर “धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम” के रूप में संदर्भित किया जाता है, का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में पहली बार 1930 और 1940 के दशक में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हिंदू रियासतों द्वारा ब्रिटिश मिशनरियों के सामने हिंदू धार्मिक पहचान को बचाने के प्रयास के रूप में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किये गये थे। स्वतंत्रता के बादभी केंद्र सरकार की तरफ से धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने के लिए कई प्रयास होते रहे हैं। पहला प्रयास 1954 में किया गया जब भारतीय धर्मांतरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक लाया गया, जिसका उद्देश्य ईसाई मिशनरियों के लाइसेंस और धर्मांतरण के पंजीकरण को लागू करना था। इसके बाद, संसद में कुछ और निजी सदस्य विधेयक पेश किए गए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हो सका क्योंकि उन्हें राजनीतिक समर्थन नहीं मिल सका। वर्ष 2015 में, विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रीय कानून बनाने के खिलाफ सलाह दी। उसका कहना था कि केंद्र द्वारा कानून बनाना तर्कसंगत नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के तहत धर्म पूरी तरह से राज्य का विषय है। बाद में इसलिए, कई राज्य सरकारों ने बल, प्रलोभन या धोखाधड़ी से किए गए धार्मिक धर्मांतरण को प्रतिबंधित करने के लिए “धर्म की स्वतंत्रता” अधिनियम बनाए हैं। वर्तमान में 12 राज्यों में ऐसे अधिनियम लागू हैं, जिनमें मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ कुछ प्रदेश हैं। इन राज्य-स्तरीय कानूनों के सामान्य प्रावधानों में धर्मांतरण की अनिवार्य रूप से पूर्व सूचनादेना, ‘प्रलोभन’ के लिए दंड और आरोपी पर सबूत का भार स्थानांतरित करना शामिल है। इन कानूनों का घोषित उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और कमजोर आबादी की रक्षा करना है, लेकिन इनकी अस्पष्ट परिभाषाओं, दुरुपयोग और धार्मिक अल्पसंख्यकों और अंतरधार्मिक जोड़ों को निशाना बनाने के लिए आलोचना होती रही है।

अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, तब भी जब अंतरधार्मिक विवाह संबंधों के खिलाफ सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियां उठती हों। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी उन प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो अंतरधार्मिक संबंधों की अनुचित जांच करते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे धर्मांतरण की पूर्व सूचना की आवश्यकता, जबरदस्ती और प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण भय और दमन का माहौल बन रहा है, जिससे व्यक्ति अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

संदर्भित करता है। अदालती निर्णय ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने से भी जोड़ा, और कहा कि जबरन धर्मांतरण से अज्ञाति हो सकती है, जो संविधान की सातवीं अनुसूची (प्रविष्टि I, सूची II) के अनुसार राज्यों की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, न्यायालय ने प्रतिबंधों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सार्वजनिक व्यवस्था की चिंताओं के साथ संतुलित करते हुए संवैधानिक पाया। हालांकि, आलोचकों का तर्क है कि यह निर्णय अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता की आधुनिक व्याख्याओं से पहले का है, जैसा कि न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ (2017) जैसे मामलों में व्यक्त किया गया है। ऐसे कानून न केवल धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, बल्कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 21) और समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) सहित अन्य मौलिक अधिकारों का भी प्रतिकार करते हैं और इसलिए इन्हें अनुचित और असंवैधानिक कहा जाता है।

अब नई परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों के हालिया निर्णयों ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों के दुरुपयोग के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक जोड़ों से जुड़े मामलों में। इन न्यायालयों ने पाया है कि ऐसे कानूनों के कार्यान्वयन से कई बार उन व्यक्तियों को परेशान किया गया है और निशाना बनाया गया है जिन्होंने स्वेच्छा से विवाह किया या अन्य व्यक्तिगत कारणों से धर्मांतरण करना चुना है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कई मामलों में हस्तक्षेप किया है जहां अंतरधार्मिक विवाहों को रद्द करने या सहमति देने वाले वयस्कों को अपराधी बनाने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानूनों का इस्तेमाल किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कानूनों का इस्तेमाल संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद की स्वतंत्रता के किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करे, तब भी जब अंतरधार्मिक विवाह संबंधों के खिलाफ सामाजिक या पारिवारिक आपत्तियां उठती हों। इसी तरह, मध्य प्रदेश में, उच्च न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी उन प्रावधानों के दुरुपयोग की आलोचना की, जो अंतरधार्मिक संबंधों की अनुचित जांच करते हैं। इसने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे धर्मांतरण की पूर्व सूचना की आवश्यकता, जबरदस्ती और प्रलोभन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण भय और दमन का माहौल बन रहा है, जिससे व्यक्ति अपनी धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रयोग करने से हतोत्साहित हो रहे हैं।

अनुभव बताता है कि जबरन या धोखाधड़ी से धर्मांतरण के वास्तविक मामलों को संबोधित करने का यह राज्य प्रयास करता है तब अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों का अतिक्रमण होता है, विशेष रूप से अंतरधार्मिक विवाहों के संदर्भ में। पहले ऐसे कानून के निशाने पर ईसाई होते थे जब मुसलमान हैं। भारतीय समाज को सामूहिक धर्म परिवर्तन की समस्या ईसाई मिशनरियों से रही। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की समस्या सामूहिक धर्म परिवर्तन की न होकर अंतरधार्मिक विवाह की है जिसे लव जिहाद का नाम देकर ऐसी धारणा बनाने की कोशिश की गई है कि यह सामूहिक धर्म परिवर्तन का छद्म रूप है। हमारे यहां तो अपनी जाति से बाहर भी विवाह की इजाजत परंपरागत समाजों में नहीं है। ऐसे विवाहों पर जातियों की खांपों के फैसले दिल दहला देने की हद वाले होते भी सबने देखे हैं। इसीलिए यह चिंता व्यक्त की जाती है कि इस प्रकार के कानून धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं और समाज में विभिन्न धर्मों के बीच भेदभाव को प्रोत्साहित कर सकते हैं। असल बात यह है कि हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं? हमारे संविधान की उद्घोषणा है, हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के वास्ते विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता; हैसियत और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच बढ़ावा देने, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का आश्वासन देने वाली बंधुता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं। ऐसा संविधान सम्मत समाज बनाने की ही आज सबसे अधिक जरूरत है।

–अतिथि संपादक,  
राजेन्द्र बोड़ा  
( वरिष्ठ पत्रकार एवं विश्लेषक )



अशोक कुमार

शिक्षा की अवधारणा केवल तथ्यों और आँकड़ों के संचय तक सीमित नहीं है; यह एक उद्देश्यपूर्ण, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के लक्ष्यों को आकार देती है और उसे आगे बढ़ाती है। इसका वास्तविक अर्थ मनुष्य को मानव बनाना और उसके जीवन को प्रगतिशील, सांस्कृतिक और सभ्य बनाना है। यह व्यक्ति और समाज, दोनों के आंतरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा एक आजीवन चलने वाली त्रि-ध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें अध्यापक, छात्र और सामाजिक वातावरण (पाठ्यक्रम सहित) तीन मुख्य स्तंभ हैं। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान की मात्रा बढ़ाना नहीं, बल्कि छात्रों को एक स्वस्थ और समृद्ध संसार के लिए तैयार करना, उनकी सोच को विकसित करना और दूसरों की बातों को गहराई से समझने में सक्षम बनाना है।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय शिक्षा का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे जीवन के सर्वांगीण लक्ष्यों को प्राप्त करना रहा है। आधुनिक समय में भी, कोठारी आयोग जैसे विभिन्न आयोगों ने राष्ट्र के आर्थिक उत्पादन में वृद्धि, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता, जनतंत्र को सुदृढ़ बनाने और नैतिक मूल्यों के विकास जैसे व्यापक लक्ष्यों को

निर्धारित किया है। हालाँकि, एक गहरा विरोधाभास यह है कि जहाँ हम सैद्धांतिक रूप से सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, वहीं व्यवहार में हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य ध्यान केवल रोजगार-केंद्रित हो गया है। यह असंतुलन लक्ष्य-विहीन शिक्षा को जन्म देता है, जो अंततः शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को और गहरा करता है। वर्तमान संरचना और नीतिगत ढाँचा स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय शिक्षा प्रणाली 10+2+3 के पारंपरिक पैटर्न पर संरचित रही है। हाल ही में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 ने 5+3+3+4 की नई पाठ्यचर्या प्रणाली अपनाकर इस ढाँचे में आमूल-चूल परिवर्तन का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का उद्देश्य 2030 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और कक्षा 5 तक मातृभाषा में अध्यापन पर विशेष जोर देना है। यह एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसके कार्यान्वयन की चुनौतियाँ बनी हुई हैं। वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER) के आँकड़े लगातार छात्रों में बुनियादी पढ़ने और अंकगणितीय कौशल की कमी को दर्शाते हैं, जो नीतियों और उनके जमीनी क्रियान्वयन के बीच की खाई को उजागर करता है।

**सार्वजनिक शिक्षा: वित्तपोषण और संस्थागत बाधाएँ**  
यह एक आम धारणा है कि सरकार सार्वजनिक शिक्षा पर पर्याप्त खर्च नहीं करती है, और आँकड़े इस धारणा को बल देते हैं। यद्यपि शिक्षा मंत्रालय के बजटीय आवंटन में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है (2025–26 के लिए अनुमानित 1,28,650 करोड़), लेकिन यह वृद्धि भ्रामक हो सकती है। पिछले चार वर्षों से, शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय (केंद्र + राज्य) सफल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 2.9% पर स्थिर बना हुआ है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा अनुशंसित 6% के लक्ष्य से बहुत कम है। यह दर्शाता है कि शिक्षा पर खर्च

केवल समग्र आर्थिक विस्तार के साथ तालमेल बिठा रहा है, इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कोई विशेष बढ़ावा नहीं मिला है।

इस समस्या को राज्यों का खराब राजकोषीय स्वास्थ्य और गहरा करता है, क्योंकि शिक्षा पर कुल व्यय का लगभग 76% राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। अपर्याप्त वित्तपोषण का सीधा प्रभाव संस्थागत गुणवत्ता पर पड़ता है:—  
**शिक्षकों की कमी:** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के 35%, एसोसिएट प्रोफेसरों के 46% और सहायक प्रोफेसरों के 26% पद रिक्त हैं। अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: UDISE (2019–20) के आँकड़ों के अनुसार, केवल 12% स्कूलों में इंटरनेट और 30% में कंप्यूटर उपलब्ध हैं। 23% स्कूलों में बिजली तक नहीं है। गुणवत्ता में गिरावट: अपर्याप्त संसाधन, शिक्षकों की कमी और पुरानी शिक्षण विधियों के कारण सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे वे निजी संस्थानों के सामने अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं।

**निजी क्षेत्र का उदय और संबंधित चिंताएँ**  
सार्वजनिक शिक्षा की इन्हीं कमियों के कारण पिछले दो दशकों में निजी शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। 2021–22 में, कुल स्कूलों में से 32%से अधिक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल थे। सरकार ने भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के माध्यम से निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत निजी स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होती हैं, जिसकी प्रतीति सरकार करती है। हालांकि निजीकरण ने विकल्प प्रदान किए हैं, लेकिन इसने गंभीर

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को भी जन्म दिया है। निजी स्कूलों की भारी फीस उन्हें अधिकांश आबादी की पहुँच से बाहर कर देती है, जिससे एक समानांतर शिक्षा प्रणाली का निर्माण होता है जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल उन्हीं को मिलती है जो इसका खर्च उठा सकते हैं।

**गुणवत्ता सुधार के लिए रणनीतिक रोडमैप**  
फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली, जिसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, एक शक्तिशाली सबक प्रदान करती है। वहाँ की सफलता का आधार निजीकरण नहीं, बल्कि एक मजबूत, समान और पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित प्रणाली है। फिनलैंड की सफलता के स्तंभ हैं: शिक्षक का सम्मान और स्वायत्तता: वहाँ शिक्षक बनना एक अत्यंत प्रतिष्ठित पेशा है और शिक्षकों को अपनी शिक्षण विधियों को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होती है। समग्र मूल्यांकन: ग्रेडिंग और उच्च-दाँव वाली परीक्षाओं के बजाय सीखने की प्रक्रिया और मौखिक मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है। समान अवसर: सभी छात्रों को, उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को परवाह किए बिना, समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलती है।

इसके विपरीत, भारत में यह धारणा है कि केवल निजीकरण ही गुणवत्ता ला सकता है। हालाँकि, राजस्थान या आदर्श योजना इस धारणा को चुनौती देती है। इस सरकारी पहल के माध्यम से, प्रणालीगत सुधारों, बुनियादी ढाँचे के उत्थान और शिक्षक रिक्रितियों को धारकर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में इतना सुधार किया गया कि नामांकन में लगभग 700,000 छात्रों की वृद्धि हुई, जिनमें से कई छात्र निजी स्कूलों से वापस आए। यह साबित करता है कि रणनीतिक निवेश और मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति से सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित किया जा

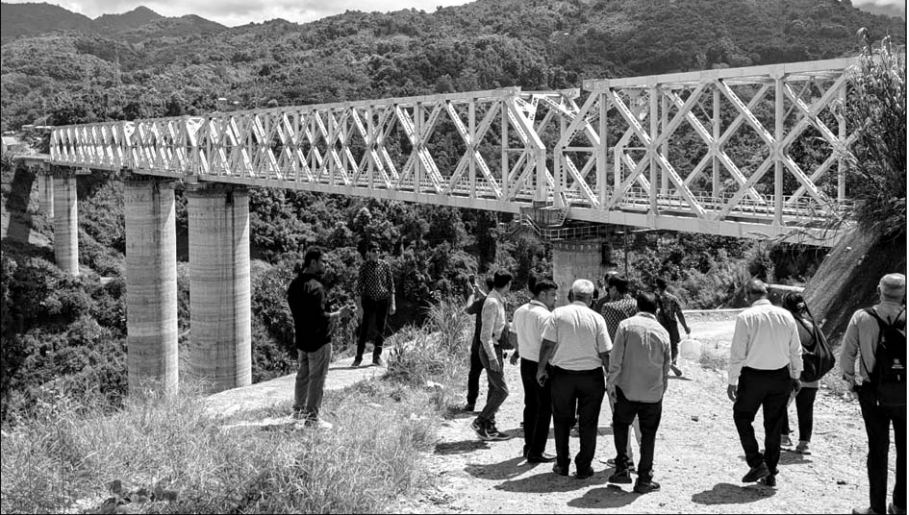
सकता है।

**नीतिगत और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता**  
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है: वित्तीय प्रतिबद्धता बढ़ाना: सरकार को शिक्षा पर अपना बजटीय व्यय GDP के अनुशंसित 6% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए। यह केवल आवंटन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के बारे में भी है। शिक्षक सशक्तिकरण: शिक्षकों के रिकत पदों को तत्काल भरना, उन्हें नियमित और आकर्षक वेतन देना, और उन्हें विश्व स्तरीय सेवा-पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षकों को फिनलैंड की तरह अधिक स्वायत्तता और सम्मान देना होगा। NEP 2020 का प्रभावी कार्यान्वयन: रटने की संस्कृति को समाप्त करने और महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान जैसे 21 वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। मूल्यांकन में सुधार: पारंपरिक परीक्षाओं से हटकर, मूल्यांकन को PARAKH (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन का आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) जैसे राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से नियमित, रचनात्मक और दक्षता-आधारित बनाया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र का सख्त विनियमन: निजी स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत नियामक ढाँचा स्थापित करना आवश्यक है ताकि वे शिक्षा के मिशन से विचलित न हों।

—अशोक कुमार,  
पूर्व कुलपति, कानपुर एवं  
गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व  
विभागाध्यक्ष, राजस्थान  
विश्वविद्यालय, जयपुर

आजादी के बाद पहली बार रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है “आइजोल”

राजस्थान के पत्रकारों के दल को आइजोल में इस रेल से यात्रा कराई



आजादी के इतने वर्षों बाद मिजोरम के लोगों का बहुप्रतीक्षित सपना पूरा होने जा रहा है। आइजोल पहली रेल मार्ग से जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। एनएफ रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कर्पिजल किशोर शर्मा ने बताया कि मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ रही है। इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के लोगों को एक बड़ी सौगत देने वाले हैं। इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। राजस्थान के पत्रकारों के दल को इस रेल से यात्रा कराई गई।

ये रेल लाइन आइजोल को पूरे देश से जोड़ेगी। पहले ये आइजोल को असम के सिलचर से जोड़ेगी। फिर वहां से पूरे देश के साथ कनेक्ट होगी। इस रेलवे रुट में 48 सुरंगें, जिनकी लंबाई 12.8 किमी और 55 बड़े पुल शामिल हैं। इसके साथ ही 87 छोटे पुल भी बने हैं। यह पुल एक पिल्लर पर पर भारत का सबसे ऊंचा पुल है। इसमें पुल की ऊंचाई 114 मीटर है। यह प्रोजेक्ट मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ेगी और पूर्वी तट क्षेत्र में व्यापार के साथ पर्यटन को एक नई दिशा देगा।

गौरलबन है कि सैरांग रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर के तौर पर डेवलप किया गया है।

इसके बाद इस रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सेवा भी शुरू की जाएगी। ये रेल प्रोजेक्ट केंद्र की एक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, जो करीब 51.38 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना है। इसका मकसद उत्तर-पूर्वी राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। अपनी ऊँची एवं हरी-भरी पहाड़ियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।विभिन्न सांस्कृतिक धरोहर को अपने आंचल में समेटे पहाड़ों की नगरी आइजोल भारत के अग्रणी पर्यटन स्थलों में से एक है।

अब तक रेल मार्ग से नहीं जुड़ा होने से विश्व पर्यटन क्षेत्र में आइजोल अपनी खूबसूरती का लाभ नहीं मिल पाया है। आइजोल भारत के मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा शहर है। यह शहर मिजोरम के उत्तरी भाग में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से 1132 मीटर (3715 फीट) ऊँची एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसके पश्चिम में त्वावंग नदी घाटी और पूर्व में तुइरियल नदी घाटी बहती है। अब आइजोल रेलमार्ग से जुड़ने जा रहा है। स्थानीय निवासियों में रेलमार्ग से जुड़ने की खुशी छाई हुई है। इनका उत्साह देखते बनता है। स्थानीय एक व्यक्ति ने

कहा कि हम रेल से जुड़ने जा रहे हैं। इसकी खुशी किसी पर्व से कम नहीं है। पर्यटन में हम आसमान छूने वाले हैं। गौरलबन है कि पूर्वोत्तर भारत में स्थित मिजोरम एक दर्शनीय और संस्कृतिक रूप से जीवंत राज्य है। इसकी सीमायें म्यांमार, बांग्लादेश और भारतीय राज्यों त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती हैं। “पहाड़ी लोगों की भूमि” के रूप में प्रसिद्ध मिजोरम की विशेषता इसकी घुमावदार पहाड़ियाँ, घने जंगल और उल्लेखनीय जैव विविधता है। मिजोरम कई जातीय समूहों का वास्तव्यभाव से अपने में समेटे हुए है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता,

■ इस रेल लाइन का उद्घाटन 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे

सांस्कृतिक समृद्धि और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ, मिजोरम एक स्थायी और शांत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अपार संभावनाएँ हैं। अपने मनमोहक प्राकृतिक परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और गर्मजोशी भरे आतिथ्य के कारण मिजोरम के आने वाले समय में भारत का सिरमौर पर्यटन स्थल बनने की ओर अग्रसर है। मिजोरम बाँस और बेंत की कारीगरी में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। हस्तशिल्प के लिए भी यहां का अलग ही स्तबा है। वस्त्र, बाँस, बेंत की कारीगरी और टोकरी बनाना शिल्पकला यहां की सांस्कृतिक पहचान है। कई महिलाएं बुनाई और टोकरी बनाने का काम करती हैं, जबकि बाँस और बेंत का उद्योग फल-फूल रहा है। रेल मार्ग से जुड़ जाने के बाद यहां के अन्य उद्योगों को भी फलने फूलने का अवसर मिल जाएगा। आइजोल के मुख्य पर्यटन स्थलों में आइजोल पीक, डर्टलैंग हिल्स, चनमारी, टामदिल, और हमुईफांग शामिल हैं। प्रकृति और संस्कृति का अद्भुत संगम पर्यटक को आनन्द प्रदान करता है।

–मिश्रीलाल पंवार।

राशिफल बुधवार 3 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, बुधवार, विक्रम संवत 2082, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 11:44 तक, आयुष्मान योग सायं 4:17 तक, वणिज करण सायं 4:07 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेंगा।  
**ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-धनु, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-सिंह, केतु-सिंह राशि में।**  
आज रवियोग रात्रि 11:08 तक है। भद्रा सायं 4:07 से रात्रि 4:22 तक है। आज पदमा एकादशी व्रत, जल झूलनी और पतिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस पर्व है।  
**श्रेष्ठ चौधड़िया: लाभ-अमृत सूर्योदय से 9:18 तक, शुभ 10:52 से 12:26 तक, चर 3:34 से 5:08 तक, लाभ 5:08 से सूर्यास्त तक।**  
**राहूकाल: 12:00 से 1:30 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:42**

मेघ



नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बने लगेगे। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है। व्यावसायिक कार्यों के लिए भाग्यदौड़ रहेगी।

वृष



चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। आवश्यक कार्यों में क्लिप्त हो सकते हैं। यात्रा कष्टप्रद हो सकती है।

मिथुन



परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क



व्यक्तिगत परेशानियां दूर होने लगेगी। मन का भय समाप्त होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

सिंह



व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सफल हो सकते हैं।

कन्या



घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

तुला



व्यावसायिक प्रयासों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक



व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।

धनु



मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल में वृद्धि होगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बने लगेगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर



घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

कुंभ



आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खेत से धन प्राप्त होगा। नौकरपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मीन



व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। अटक हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगे।



# भारी बारिश से श्रीडूंगरगढ़ के सुरजनसर में दो दिन में ही एक दर्जन मकान गिरे

बीकानेर शहर में नेशनल हाइवे एक बार फिर जाम हो गए, कच्ची बस्तियों में पानी एकत्र हुआ

**बीकानेर,** (निर्स)। मानसून के अंतिम दिनों में बीकानेर में जमकर बारिश हो रही है। अब तक बरसात को तरसर रहे बीकानेर में पिछले तीन दिन में ही भारी बारिश हुई है। श्रीडूंगरगढ़ के एक गांव में जहां करीब एक दर्जन मकान गिर गए, वहीं बीकानेर शहर में नेशनल हाइवे एक बार फिर जाम हो गए। वहीं कच्ची बस्तियों में पानी एकत्र हो गया है। पुरानी गिन्नाणी और सूरसागर के आसपास जमा पानी के कारण आना-जाना मुश्किल हो गया।

## पुरानी गिन्नाणी और सूरसागर के आसपास जमा पानी के कारण लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया

श्रीडूंगरगढ़ के सुरजनसर में दो दिन में ही करीब एक दर्जन मकान गिर चुके हैं, जिनमें कई परिवार तो बिल्कुल बेघर हो गए हैं। गांव में कोजुराम प्रजापत व बुधाराम नायक के मकान गिरने के बाद ये परिवार बे-छत हो गए हैं। जरूरतमंद परिवारों के पास रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं

बचा है। गांव में रेवंताराम मेघवाल का मकान धराशायी हो गया। घर वालों ने जान बचाई व मलबे के नीचे दबे सामान को निकालने की कोशिश हो रही है।

मुन्नीदेवी शर्मा का मकान मलबे में ही तब्दील हो गया है और परिवार बुरी तरह से परेशान हो रहा है। वहीं

सुशील जाट, दीनदयाल जाट, मुन्नीराम शर्मा, ओमप्रकाश जाट, नंदलाल शर्मा, अंजु देवी शर्मा, गौरीशंकर जाट के मकान भी भराभरा कर गिर गए हैं। परिवारों ने अपने भाई के घर या बहरेर के घर में शरण ली है। वहीं कुछ तो बेघर ही हो गए हैं। ऐसे में सरपंच ओमप्रकाश शर्मा ने कोजुराम को एक झोंपड़ी बनवा कर दी है। शर्मा गांव के मौजिज लोगों के साथ मिलकर पीड़ितों की मदद के प्रयास कर रहे हैं। शर्मा ने पटवारी व प्रशासन को सूचना देकर जरूरतमंद

परिवारों की मदद करने की गुहार लगाई है।

वहीं बीकानेर में दोपहर करीब एक घंटे तक बारिश हुई। कभी तेज और कभी धीमी बारिश के बाद नेशनल हाइवे पर पानी एकत्र हो गया। गजनेर रोड पर जहां पुलिस लाइन चौहड़े के पास पानी एकत्र होने वाहन धीमी गति से चले। वहीं कोठारी अस्पताल से भुट्टा चौराह तक भी वाहनों की गति धीमी ही रही। ऐसे में वाहनों की कतार लग गई। उधर, गांशहर क्षेत्र में भी बारिश के कारण यातायात बाधित रहा।

## ढील डैम की चादर से गिरकर युवक लापता

**बौली-बामनवासर,** (निर्स)। क्षेत्र के प्रमुख ढील डैम पर अपने साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए एक युवक पायलट गुर्जर निवासी गुडला की ढील डैम की चादर, वेस्ट वेयर पानी को पार करते समय तेज बहाव की चपेट में आने से पानी के साथ बह गया, जिसका देर शाम तक कोई पता नहीं चल पाया। सूचना पाकर चौथ का बरवाड़ा पुलिस, प्रशासन, सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंची। ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुडला गांव से कुछ युवक ढील डैम पर घूमने एवं पिकनिक मनाने गए थे। इसी दौरान एक साथी बच्चा गुर्जर डैम की रेलिंग चादर को स्ट्रेट करते हुए नशे की हालत में पार कर जाने लगा, इसी दौरान युवक का चादर से संतुलन बिगड़ गया और वह तेज बहाव के साथ बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

# करौली में तेज बारिश, पांचना बांध के दो गेट खोले

**करौली,** (निर्स)। जिला मुख्यालय पर बीते तीन दिन से हो रही बरसात के चलते नदी, नाले उफान पर हैं तो वहीं पांचना बांध से दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है।

करौली जिला मुख्यालय पर गत रविवार से मौसम ने अचानक पलटा खाय़ा। कभी मूसलाधार तो कभी रिमझिम बरसात से लोगों को पानी में

## करणपुर क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से कस्बे की घाटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई

## गुमानो माता मंदिर पर दर्शन करने गए श्रद्धालु फंस गए

भिगोए रखा। रविवार और सोमवार को जिला मुख्यालय पर मूसलाधार हुई बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिसके चलते पांचना बांध के तीन गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की, लेकिन सोमवार की रात पानी की



करौली एसपी कार्यालय की सड़क पर भरे पानी से निकलते वाहन।

आवक बंद होने से निकासी कम की गई और मंगलवार को रिमझिम बारिश के चलते दो गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। जिले के करणपुर क्षेत्र में हुई झमाझम बारिश से करणपुर कस्बे की घाटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई जिसके चलते अब मोटरसाइकिल भी नहीं निकलने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गुमानो माता मंदिर पर दर्शन करने

गए श्रद्धालु भी फंस गए हैं। करणपुर क्षेत्र के लोगों को अब रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए मोहताज होना पड़ रहा है और दर्जनों की संख्या में गांव के लोगों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है। इसके अलावा जिला मुख्यालय की कई कॉलोनियां भी जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

# बाइक सवार युवक से बदमाशों ने 15 लाख रुपये लूटे

**रामगढ़ शेखावाटी,** (निर्स)। बाइक पर जा रहे एक युवक से 15 लाख रुपए की लूट का मामला दर्ज हुआ है। वारदात के लिए तीन बदमाश बाइक लेकर आए थे। पहले उन्होंने टक्कर मारकर युवक को नीचे गिरा दिया। इसके बाद पिस्टल दिखाकर युवक के पास रुपयों से भरा बैग छीन लिया। घटना के बाद पीड़ित ने रामगढ़ सेटान थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी है।

रामगढ़ शेखावाटी पुलिस के अनुसार झुंझुनूं जिले के मंडावा कस्बे के वार्ड 3 निवासी मनीष ने लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित का कहना है कि वह फतेहपुर से अपने परिचित प्रताप सिंह से 15 लाख रुपए लेकर बाइक पर निकला था। रुपयों से भरा बैग लेकर वह अपने घर मंडावा जा रहा था। 15 लाख रुपए उसके ताऊ के लड़के सुरेंद्र ने दिलवाए थे जो, उसके घर पर देने थे। 15 लाख रुपए लूटने के बाद मनीष ने अपने भाई सुरेंद्र को फोन कर घटना की जानकारी दी। सुरेंद्र ने मनीष को घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। इस पर मंडावा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन वारदात स्थल रामगढ़ सेटान थाने के अधीन आने पर इसके बाद रामगढ़ थाना पुलिस मौके

## पिस्टल दिखाकर रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हुये

पर आकर पीड़ित से पूछताछ की। बाइक से गिरने पर मनीष घायल हो गया तो उसे उपचार के लिए अस्पताल भिजवाना पड़ा। एक बाइक वाले ने उसकी बाइक को टक्कर मारी। इससे मनीष नीचे गिर गया। गिरते ही तीनों बदमाशों ने मनीष के पास मौजूद बैग छीनने लगे। विरोध करने पर इनमें से एक ने मनीष को पिस्टल दिखाई। इस पर मनीष डर गया और इसके बाद तीनों बदमाश रुपयों से भरा बैग लूट कर मंडावा की तरफ बाइक लेकर फरार हो गए। पीड़ित मनीष के अनुसार तीनों आरोपी सफेद रंग की बाइक लेकर आए थे। इनमें एक ने हेलमेट लगा रखा था और दो ने अपने चेहरे कपड़े से ढक रखे थे।

रामगढ़ सेटान के थानाधिकारी पवन कुमार ने बताया कि लूट के बाद बदमाश नवलगढ़ की तरफ भाग छुटे, एक जगह उनकी संदिग्ध बाइक नजर आई है। इसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा इस रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं।

## हादसे में बाइक सवार की मौत, एक घायल

**कोटा,** (निर्स)। मंडाना थाना इलाके में नेशनल हाइवे-52 पर हुए सड़क हादसे में बाक सवार दो युवकों में से एक युवक की मौत हो गई एवं एक युवक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार हादसा बाइक के आगे चल रहे पिकअप चालक

## वाहन के अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रहे बाइक सवार की ठाड़क पिकअप में टकराई

द्वारा अचानक से वाहन के ब्रेक लगाने से हुआ, वाहन के अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रहे बाइक सवार की बाइक पिकअप में टकरा गई। मंडाना थानाधिकारी अजय शर्मा ने बताया कि मंगलवार रात्रि को दो युवक सुनील व मनोज दोनों मोटरसाइकिल से कोटा की तरफ आते समय नेशनल हाइवे पर एक ढाबे के समीप मोटरसाइकिल से आगे चल रहे पिकअप वाहन के चालक ने अचानक से ब्रेक लगा दिये, जिससे पिकअप के पीछे चल रही बाइक पिकअप से टकरा गई। दोनों युवकों को घायलतावस्था में उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया। थानाधिकारी ने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान सुनील ने दम तोड़ दिया, वहीं हादसे में घायल मनोज का उपचार जारी है।

# कक्षा 9 से 12 के एडमिशन अब 16 सितम्बर तक होंगे

## प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तीसरी बार लास्ट डेट में बदलाव करते हुए 16 सितम्बर तक एडमिशन लेने की छूट दी

**बीकानेर,** (निर्स)। प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में क्लास 9 से 12 तक में एडमिशन की लास्ट डेट्स में बार-बार बढ़ोतरी हो रही है। अब तीसरी बार लास्ट डेट में बदलाव करते हुए 16 सितम्बर तक एडमिशन लेने की छूट दी गई है। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को भी 10वीं और 12वीं के एग्जाम फॉर्म के लिए लास्ट डेट बढ़ानी पड़ रही है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी करके एडमिशन की लास्ट डेट 16 सितम्बर कर दी। इससे पहले ये लास्ट डेट 30 अगस्त थी। ऐसे में 31 अगस्त को किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं लिया। इस बीच एक बार फिर 16 सितम्बर लास्ट डेट कर दी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

अजमेर ने भी इसी कारण डेट्स में फेरबदल किया। जब स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के फॉर्म भरने की सुविधा भी जरूरी है। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में स्कूलों की मान्यता के प्रकरण अभी शेष हैं। इन स्कूलों में बच्चे हैं, जिन्होंने अब तक किसी अन्य स्कूल में एडमिशन नहीं लिया। लास्ट डेट समाप्त होने पर ये बच्चे न एडमिशन ले सकेंगे और न ही एग्जाम दे सकेंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग बार बार डेट्स में फेरबदल कर रहा है। हर साल ही शिक्षा विभाग दो से तीन बार

लास्ट डेट में फेरबदल करता है। इस बार भी ये तीन बार हो चुका है। ऐसे में अब 16 सितम्बर के बाद डेट्स में फेरबदल होना मुश्किल है। ऐसे में स्कूल संचालकों को भी अब सावधानी बरतनी होगी।

उधर, कक्षा नर्सरी से आठवीं तक के एडमिशन पूरे साल होते हैं। इन स्कूलों के लिए लास्ट डेट का कोई महत्व नहीं है। जब भी बच्चा स्कूल जाने की उम्र में आता है, तब उसे एडमिशन दिया जा सकता है। आठवीं तक कोई भी स्कूल डेट्स के कारण स्कूल में एडमिशन नहीं रोक सकती।

# आर्किटेक्ट आरके गुप्ता के घर पर आयकर विभाग का छापा

## जयपुर, उदयपुर और कोटा टीम के करीब 12 से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे

**कोटा,** (निर्स)। कोटा में आयकर विभाग ने आकाश मॉल स्थित प्राईम आर्ट आर्किटेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के ऑफिस और आर्किटेक्ट आरके गुप्ता के घर पर टीम छापामारी की है।

आर्किटेक्ट आरके गुप्ता का ऑफिस आकाश मॉल के छठे माले पर स्थित है। जयपुर, उदयपुर और कोटा टीम के करीब 12 से ज्यादा अधिकारी कार्रवाई करने पहुंचे हैं। टीम कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य कागजों की जांच कर रही है। उनके घर पर भी 5 से 6 अधिकारियों की टीम जांच कर रही है।

## चरस सहित आरोपी गिरफ्तार

**कोटा,** (निर्स)। रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने इलाके में गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ 240 ग्राम चरस सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है। रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि शहर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि इलाके में गश्त के दौरान नूरानी मस्जिद के समीप कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ 240 ग्राम चरस सहित श्रीपुरा निवासी अय्यान अब्बासी (19) को पकड़ा है। पुलिस टीम ने अवैध मादक पदार्थ चरस बरामद होने पर मौके पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।

## खेत में मवेशी चराने पर विवाद, बुजुर्ग को गोली मारी

### बुजुर्ग की पत्नी के साथ मारपीट की

**अलवर,** (निर्स)। अलवर में खेत में बैस चराने के विवाद में बुजुर्ग को गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। गोली बुजुर्ग के प्राइवेट पार्ट के पास लगी। मामला कदूमर के बुलाहेड़ी गांव में सोमवार को हुआ। घायल 61 साल के रामप्रसाद को रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

थानाधिकारी महेश तिवारी ने बताया कि सोमवार को बुलाहेड़ी निवासी राधे गुर्जर अपनी बैस जंगल में चराकर लौट रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने खेतों में बैस चराने को लेकर विवाद किया। हालांकि, उस समय मामला शांत हो गया, लेकिन रात आठ बजे के बीच विवाद ने फिर तूल पकड़

लिया। आरोप है कि लक्खी गुर्जर की पत्नी धोली के साथ मारपीट की गई। जब लक्खी बीच-बचाव करने आया तो उस पर पत्थर से हमला कर सिर फोड़ दिया गया। देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट-पत्थर चलने लगे। इस बीच लक्खी पक्ष की ओर से किसी ने देसी कट्टे से फायरिंग कर दी, जिसमें रामप्रसाद घायल हो गया। इसके अलावा 16 वर्षीय कृष्ण कुमार को भी गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। वहीं, धोली, लक्खी समेत अन्य घायलों का उपचार कदूमर सीएचसी में चल रहा है।

# नकली घी बनाने की आशंका में घर सीज

**बीकानेर,** (निर्स)। जिले के लूणकणसर में केमिकल के माध्यम से नकली घी बनाने की आशंका में एक घर को सीज किया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घर में चल रही गतिविधियों को संदिग्ध बताते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे सीज कर दिया। घर में कई तरह के ड्रम और केमिकल के साथ मशीनें बरामद हुई हैं।

स्थानीय टाइटार्स फोर्स के सदस्यों ने इस घर पर पहुंचकर वहां की

गतिविधियां देखीं। इसके बाद पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर आकर देखा कि वहां बहुत सारे ड्रम पड़े हैं। घर के कुछ कमरों में घी है और कुछ केमिकल भी है। इस घर पुलिस को फोन किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर का निरीक्षण किया। बाद में घर पर ताला लगा दिया। अब रसद विभाग को इसकी रिपोर्ट दी गई है। गांव रामबाग निवासी रमजीत का ये मकान है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के कुछ लोगों को ये मकान किराए पर दिया गया था।

करीब चार महीने से यहां पर काम चल रहा था। ये घटिया और मिलावटी घी बन रहा था या नहीं इस बारे में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। रसद विभाग की टीम यहां से सेंपल लेने के बाद जांच करेगी। इसके बाद ही ये स्पष्ट होगा। फिलहाल पुलिस ने मौके से तीन युवकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया है। इसी घर से एक कार व एक पिकअप को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। पुलिस ने इस बारे में अब तक कुछ भी अधिकृत तौर पर नहीं कहा है।

# पार्किंग विवाद से परेशान विधवा ने आत्मदाह का प्रयास किया

## महिला की दुकान के सामने एक दुकानदार ने अपने परिवार की गाड़ी खड़ी कर दी थी

**उदयपुर,** (कार्स)। उदयपुर जिले के झाड़ोल में सोमवार शाम एक विधवा महिला ने पार्किंग विवाद से परेशान होकर आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने गुस्से में अपने शरीर पर केरोसिन डाल लिया और हाथ में माचिस लेकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद एक पड़ोसी महिला ने माचिस छीनकर उसकी जान बचाई। घटना का वीडियो सामने आया है।

जानकारी के अनुसार झाड़ोल सीएचसी परिसर में महिला गंगा देवी की दुकान के सामने सोमवार शाम करीब पांच बजे एक दुकानदार ने अपने परिवार की गाड़ी खड़ी कर दी। इससे नाराज गंगा देवी ने नदी जताया। विवाद बढ़ने पर उसने केरोसिन की बोतल उठाई और खुद को आग लगाने की धमकी दे दी। हंगामा

## महिला ने गुस्से में अपने शरीर पर केरोसिन डाल लिया और हाथ में माचिस लेकर आत्मदाह का प्रयास किया

## मौके पर मौजूद एक पड़ोसी महिला ने माचिस छीनकर महिला की जान बचाई, घटना का वीडियो सामने आया

होने पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गंगा देवी ने बताया कि वह विधवा है और उसकी छोटी सी दुकान है। उसके सामने आए दिन गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं जिससे वह परेशान हो गई थी। इस बीच एक अन्य महिला ने मौके पर पहुंचकर माचिस छीन ली और उसे समझाने का प्रयास किया। सूचना पर झाड़ोल पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया।

मंदिर में चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार : कोटा के दीगोद पुलिस टीम ने मंदिर में चोरी के दर्ज मामले में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि 30 अगस्त को फरियादी रामावतार ने दीगोद थाने में रिपोर्ट दी। फरियादी ने कहा कि देर रात्रि को बगोची के बालाजी के मंदिर परिसर में रखी दानपेटी तोड़कर कोई अज्ञात चोर उसमें रखी धनराशि को चोरी करके ले गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज किया, मामले में चोरी के आरोपियों की तलाश के लिये पुलिस उप अधीक्षक राजेश दाका के सुपरविजन में दीगोद थानाधिकारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। ग्रामीण एसपी ने बताया कि गठित टीम ने तकनिकी संसाधन व मुखबीर को सूचना पर कार्रवाई करते हुए मंदिर परिसर से दानपेटी में चोरी के मामले में दो आरोपी निमोदा रोड़ दीगोद निवासी अर्जुन एवं दीगोद निवासी विशाल को गिरफ्तार किया।



लोहारिया पुलिस ने शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाली दुल्हन व दो एजेंटों को गिरफ्तार किया।

हजार रुपये देने की बात तय हुई। 14 अगस्त को प्रार्थी ने खुशबू से आर्य समाज मंडल दिल्ली में शादी की एवं वहां से 80 हजार रुपये ऑनलाइन एजेंट को देना बताया एवं एक लाख रुपये लड़की के प्रार्थी के गांव सुंदनी पहुंचने पर एजेंट को देना तय हुआ। 15 अगस्त को प्रार्थी उसकी पत्नी खुशबु, एजेन्ट जयपाल सिंह व बबलु के साथ गांव सुंदनी आये और एजेंट को एक लाख रुपये नगद दिये जो लेकर दोनों एजेंट वापस चले गये और

उसी रात्रि को प्रार्थी की पत्नी खुशबु झांसा देकर फरार हो गयी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया और गवाह के बयान एवं लेन-देन संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, एसपी डॉ. राजेश भारद्वाज, वृताधिकारी गढ़ी सुदर्शन पालीवाल के निर्देश पर थानाधिकारी शिशुपाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की।

मामला धोखाधड़ी का होकर

आरोपियों के भरतपुर व दिल्ली के निवासी होने से टीम गठित की गयी। इस टीम ने आरोपियों के मोबाइल नंबरों की डिटेल व लोकेशन प्राप्त की एवं इसी आधार पर भरतपुर से आरोपी जयपाल सिंह को एवं दिल्ली से रामअचल उर्फ बबलु एवं कृष्णा उर्फ खुशबु उर्फ बिना चौधरी को डिटेन कर थाने पर लाये एवं उन्होंने पूछताछ के बाद षड्यंत्रपूर्वक शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया।

# मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली राजस्व और उपनिवेशन विभाग की बैठक

बजट घोषणाओं के कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश

**-कार्यालय संवाददाता-**  
**जयपुर।** मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूर्ण किया

■ **प्रदेश में 18 सितम्बर से शुरू होगा “गांव चलो” अभियान**

जाए। उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन, डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया को शीघ्र पूरा कर विकास कार्यों का लाभ आमजन तक समय पर पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गुड गवर्नंस के मानकों पर खरा उतरते हुए जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि राजस्व वित्त तकनीक और नवाचार के माध्यम से काशतकारों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटा है। किसानों को स्वयं फसल गिरादवरी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एग्रीस्टेक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्व और उपनिवेशन विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अधिक से अधिक किसानों को इस एप से जोड़ा जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 18 सितम्बर से प्रदेशभर में सप्ताह में तीन दिन “गांव चलो” अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण सहित संबंधित राजस्व प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस अभियान के लाभ

से वंचित न रहे। बैठक में भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों के बजट में घोषित भवनों का निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा किया जाए। उन्होंने पुराने भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि सरकारी संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके। जैसलमेर जिले में सामान्य आवंटन से जुड़े संबंधित आवेदनों के निस्तारण के लिए 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

साथ ही विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियमों के सरलीकरण की बात भी कही गई। अधिकारियों ने बताया कि फार्मर रजिस्ट्री योजना के तहत अब तक 87 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी जनरेट की जा चुकी है। किसानों के आधार नंबर को राजस्व रिकॉर्ड से जोड़ने का कार्य प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ कर दिया गया है। भू-नक्शा पोर्टल पर अब तक राज्य के 48,463 गांवों की जिओ रेफरेंस शीट फाइल अपलोड कर

4.49 करोड़ यूनिक लैंड पार्सल आईडेंटिफिकेशन नंबर जारी किए जा चुके हैं। बैठक में रेवेन्यू कोर्ट मॉडर्नाइजेशन सिस्टम, राजस्व इकाइयों का पुनर्गठन, सरकारी अधिवक्ताओं की रिटेनर शुल्क, उपनिवेशन क्षेत्र में भूमि आवंटन दर में संशोधन, ग्राम दान और भूदान अधिनियम सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राजस्व मंत्री हेमन्त मीणा, मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

## अतिवृष्टि, फसल खराबे और लॉ एण्ड ऑर्डर पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस

जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक

जयपुर। राजधानी जयपुर के कांस्टीट्यूशन क्लब में मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोक से विधायक सचिन पायलट भी शरीक हुए। बैठक में रणनीति बनाई गई कि, राजस्थान में अतिवृष्टि से बिगड़े हालातों, फसल खराबे और प्रदेश में लॉ एण्ड ऑर्डर को लेकर सदन में भाजपा सरकार को घेरा जाये। बैठक में करीब-करीब सभी कांग्रेस विधायक पहुंचे, जिन्हें नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने और अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा में पुरजोर तरीके से उठाने के निर्देश दिये। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए टीकाराम जूली ने कहा कि पूरा विपक्ष जनसमस्याओं

को विधानसभा में उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। जूली ने कहा कि कांग्रेस विधायकों ने बैठक में बताया है कि अतिवृष्टि से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गरीबों के कच्चे मकान ढह गये हैं, खेतों में पानी भरने से किसान बर्बाद हो गये हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत बदतर है। इसके बावजूद भी सरकार ने कोई राहत पहुंचाने का कार्य नहीं किया है। शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़, अंग्रेजी स्कूलों को बंद करने तथा झालावाड़ की स्कूल में हुए हादसे को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है। सरकार पंचायतीराज और निकाय चुनाव करवाने से बच रही है। परिसीमन के नाम पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। महिला व बालिका अत्याचार के मामले दिनेदिन बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई हुई

है। इन्ही तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस, सदन में राज्य सरकार को घेरेगी। ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राजस्थान की भजनलाल सरकार, इनका रवैया यही रहा है कि ये लोग मुझे पर बात ही नहीं करना चाहते। प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सदन में सार्थक चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि हम उनकी समस्याओं पर सदन में चर्चा करें। भजनलाल सरकार ने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे।

है। इन्ही तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस, सदन में राज्य सरकार को घेरेगी। ए.आई.सी.सी. महासचिव सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हो या राजस्थान की भजनलाल सरकार, इनका रवैया यही रहा है कि ये लोग मुझे पर बात ही नहीं करना चाहते। प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं, जनजीवन अस्त-व्यस्त है, किसानों को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस सदन में सार्थक चर्चा चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें विधानसभा में चुनकर भेजा है तो जनता चाहती है कि हम उनकी समस्याओं पर सदन में चर्चा करें। भजनलाल सरकार ने दो साल के शासन में प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए हम सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे।

## एलआईसी की बीमा बाजार में 65.83 प्रतिशत हिस्सेदारी

जयपुर। भारत की अग्रणी जीवन बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) अपनी 69वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। एलआईसी ने 36 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करते हुए सबसे तेजी से बढ़ते भारतीय ब्रांड के रूप में भी उभरी है। गत 1 सितंबर 2025 को अपनी 69वीं वर्षगांठ का गौरवशाली क्षण मना रही एल.आई.सी. ने अपनी उपलब्धि का

श्रेय टीम के समर्पण और कड़ी मेहनत तथा ग्राहकों के विश्वास को दिया है। एल.आई.सी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में पॉलिसियों में 65.83 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी और प्रथम वर्ष की प्रीमियम आय में 57.05 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। कुल एयूएम 6.45 प्रतिशत बढ़कर 54.52 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वर्तमान में भारतीय जीवन

बीमा निगम 35 व्यक्तिगत उत्पादों, 12 समूह उत्पादों, 7 व्यक्तिगत राइडर्स और 1 समूह राइडर का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है, जो समाज के हर वर्ग की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, चाइल्ड इंश्योरेंस, एयुटीटी प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस, माइक्रो इंश्योरेंस, हेल्थ और यूनिट लिंक्ड उत्पाद। ये योजनाएं ऑफलाइन

के साथ-साथ ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा एलआईसी का स्वर्ण ज्वंती फाउंडेशन (जीजेएफ), एलआईसी की सामुदायिक सेवा पहल के एक भाग के रूप में वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था और अब तक 926 परियोजनाओं में 283 करोड़ रुपये और 80.62 करोड़ रुपये की 30835 छात्रवृत्तियाँ वितरित कर चुका है।

## सचिन पायलट ने जैसलमेर पहुंचकर कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि दी

ए.आई.सी.सी. महासचिव पायलट ने, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने के विवाद को लेकर राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा

जयपुर/जैसलमेर (कासं)। ए.आई.सी.सी. महासचिव और राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को जैसलमेर के मोहनगढ़ पहुंचकर पूर्व सांसद स्व. कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा शोक संतुष्ट परिजनों को ढाढस बंधाया। पायलट के साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद थे। जब पायलट विशेष विमान से जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके स्वागत में पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद, पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव, कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमदे सिंह तंवर, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर व अंजना मेघवाल और सैकड़ों कार्यकर्ता उमड़े। कर्नल सोनाराम चौधरी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सचिन पायलट पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के जैसलमेर आवास पर पहुंचे। जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए सचिन पायलट ने एस.आई. भर्ती परीक्षा रद्द करने के मामले पर राज्य सरकार पर चुबानी हमला बोला। पायलट ने कहा कि, प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार का रुख स्पष्ट नहीं है।



एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था, परंतु सरकार कभी कहती रही कि है कमेटी बना दी... समिति बना दी। लेकिन सरकार ने इस और कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सरकार को अब तक यह भी मालूम नहीं कि, करना क्या है। सरकार बोलती कुछ है और कोर्ट

में हलफनामा कुछ और देती है। यह पूरा कन्फ्यूजन सरकार के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है। जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतान पड़ रहा है, जो परीक्षा में सफल रहे, जिनकी नौकरी लगी। अब कोर्ट से आदेश आया है, उन्हें भी कन्फ्यूजन है। सचिन पायलट ने कहा कि,

■ **पायलट ने कहा कि “एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर लम्बे समय से विवाद चल रहा था, परंतु राजस्थान सरकार कभी कहती रही कि है कमेटी बना दी... समिति बना दी। लेकिन हकीकत में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।”**

राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से निर्णय लेकर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के इस पूरे मामले को स्पष्ट करना चाहिए। मैंने पूर्व में भी बार-बार कहा है, आज भी दोहरा रहा हूं कि यह समस्या मात्र एक परीक्षा की नहीं है, अपितु इस पूरे सिस्टम की है। आर.पी.एस.सी. को गंगात्री है, जहां से परीक्षाएं व इंटरव्यू होते हैं और नौकरी लगती है। जैसा कि कोर्ट ने कहा कि आर.पी.एस.सी. में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे में उन सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पर भी संदेह होता है।

## आपके घर हूपर नहीं आ रहा तो क्यूआर कोड स्कैन करे



जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने मंगलवार को जयपुर में “वॉयसेज ऑफ भारत: युवा फॉर सस्टेनेबिलिटी” अभियान के तीसरे न्यूजलेटर का विमोचन किया। उन्होंने सितंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में जयपुर में प्रस्तावित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रण स्वीकार किया। इस एक वर्षीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2025 को की थी। “वॉयसेज ऑफ

## माँ के अपमान पर जयपुर भाजपा ने हुंकार भरी

छोटी चौपड़ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला जलाया



भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर धरना देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया।

**-कार्यालय संवाददाता-**  
**जयपुर।** भाजपा जयपुर शहर की ओर से मंगलवार को छोटी चौपड़ पर विशाल धरना तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी व तेजस्वी यादव पुतला दहन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुज्य माता के लिए इस्तेमाल किए गए अपशब्दों के खिलाफ 3 घंटे चले इस धरने में भाजपा के सभी कार्यकर्ता विधायक व अन्य नेताओं ने अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की तीखी आलोचना की। इस विरोध प्रदर्शन में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने भारत मां के जयकारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर जिला अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा कहे गए अपशब्द केवल एक माता का नहीं, बल्कि समस्त मातृ शक्ति एवं भारतीय संस्कारों और संस्कृति का अपमान है। उन्होंने कहा कि माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान है। माँ के अपमान पर जयपुर की नारी चुप नहीं रहेगी। माँ सीता का अपमान होने पर सोने की लंका जला दी गई थी। माँ को भरी सभा में घसीटा गया, तो महाभारत हुई। एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री को माँ का अपमान हुआ है

■ **प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ इन दोनों नेताओं द्वारा की गई अभद्र टिप्पणियों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने घोर निंदा की**

■ **“मां का अपमान कांग्रेस की पहचान” तथा “मां का अपमान नहीं सहगा हिंदुस्तान” लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई मातृशक्ति**

और सभी को भारत माता के नारे लगवाए। धरने में जयपुर के विभिन्न कोनों से आई सैकड़ों की संख्या में नारी शक्ति भी उपस्थित रही। वे “मां का अपमान कांग्रेस की पहचान, “मां का अपमान नहीं सहगा हिंदुस्तान” लिखित तख्तियों के साथ धरने में शामिल हुई। इस अवसर पर अनेक विधायक और वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने भाषण में राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की घोर निंदा की। इस अवसर पर सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा, हवामहल से विधायक बालमुकुंदचर्च, किशनपोल प्रत्याशी चंद्रमोहन बेंटवाडा, महापौर कुसुम यादव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्रवण बागड़ी, प्रदेश मंत्री अजीत माण्डन, प्रदेश कार्यलय मंत्री सुकेश पारीक, पूर्व विधायक मोहन लाल गुप्ता, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री जयश्री गर्ग, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, अपूर्वा सिंह, राजस्थान राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा, सहित अनेक पार्षद एवं मंडल अध्यक्ष, सही समस्त कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।

## विदेशी पर्यटकों के लिए जी.एस.टी. हटाने की मांग

जयपुर (कासं)। इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) ने भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपकर विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है। इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे की भरपाई में भी मदद मिलेगी। यह बात आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल, कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने मंगलवार को अलसीसर हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने बताया कि इंडियन हैरिटेज होटल्स एसोसिएशन की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 12वां एनुअल कन्वेंशन इस वर्ष जयपुर स्थित कासल कानोता में 6 से 7 सितंबर को आयोजित होगा। कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 150 हैरिटेज होटेलियर्स के शामिल होने की उम्मीद है। कैप्टन



अलीसार ने बताया कि पिछले वर्ष हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए की गई आईएचएचए की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अपने बजट में घोषित भी कर दिया गया है। साथ ही, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। आईएचएचए कमेटी सदस्य, शत्रुंजय सिंह ने कहा कि इस वर्ष के आईएचएचए कन्वेंशन की थीम रोमांटिक हैरिटेज है। हैरिटेज प्रॉपर्टीज में स्वाभाविक रूप से रोमांस की भावना समाहित होती है, जो उनकी कलिनरी परम्पराओं, म्यूजिक,

आर्किटेक्चर और इक्वेस्ट्रियन संस्कृति में प्रतिबिम्बित होती है। कासल कानोता के संरक्षक पृथ्वी सिंह कानोता और प्रताप कानोता ने बताया कि एनुअल कन्वेंशन के पहले दिन 6 सितंबर (शनिवार) को राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी दीप प्रज्वलित कर एजीबिशन का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर आईएचएचए के प्रेसिडेंट एग्मिटेड्स, एचएच महाराजा गज सिंह, आईएचएचए के महासचिव, कैप्टन गज सिंह अलसीसर, आईएचएचए के उपाध्यक्ष, स्टीव बोर्रिंजा सहित राजस्थान सरकार के पर्यटन अधिकारी

■ **इंडियन हैरिटेज होटल्स एसो. का 12वां एनुअल कन्वेंशन और 24वीं जनरल मीटिंग 6-7 सितंबर को होगी**

भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान संजीव विद्याधी द्वारा रिवाइवल ऑफ हैरिटेज आर्किटेक्चर विषय पर चर्चा आयोजित होगी। इसके पश्चात, अभिमन्यु सिंह अलसीसर द्वारा राजस्थान के लोक संगीत पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वीर विजय सिंह डुंडलोद द्वारा होटल ऑपरेशंस पर एक संवाद और सोलर एज टेक्नोलॉजीस द्वारा एक प्रजेंटेशन प्रस्तुत की जाएगी। दिन के दौरान एजीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्री, गजेन्द्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे और सदस्यों को संबोधित करेंगे। इस बैठक में केवल एजीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हिस्सा लेंगे।

## ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद भी वकील को क्यों दिखाया असफल?

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करने के बाद वकालत कर रहे वकील को अब इस परीक्षा को पास नहीं करने वालों की सूची में शामिल करने पर बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के सचिव को 9 सितंबर को तलब किया है। अदालत ने कहा है कि सचिव व्यक्तित्व या वीसी के जरिए पेश होकर प्रकरण से अदालत को अवगत कराए। अदालत ने इस दौरान संबंधित रिकॉर्ड भी पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने बार कौंसिल ऑफ इंडिया से भी जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश भागीरथ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता अक्षय शर्मा ने अदालत को बताया कि बीसीआर ने साल 2012 में याचिकाकर्ता का नामांकन पर स्थाई वकालत के लिए एसे प्रमाण पत्र जारी किया गया। वहीं बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने 2010 के नियमों को लागू करते हुए साल 2012 में ऑल इंडिया बार एग्जाम

आयोजित किया। जिसमें याचिकाकर्ता शामिल होकर परीक्षा में पास हुआ। इस पर याचिकाकर्ता ने बीसीआई से प्रैक्टिस प्रमाण पत्र मांगा। जिस पर कौंसिल ने उससे ढाई हजार रुपए का शुल्क जमा करवाया। याचिका में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ राजस्थान ने एक सूची जारी कर ऑल इंडिया बार एग्जाम पास नहीं करने वाले वकीलों को प्रैक्टिस प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार कर दिया। इस सूची में याचिकाकर्ता का नाम भी शामिल किया गया, जबकि वह पूर्व में ही यह परीक्षा पास कर चुका है। याचिका में कहा गया कि इसकी शिकायत बार कौंसिल ऑफ इंडिया में करने पर उसे सूचित किया गया कि ऑल इंडिया बार एग्जाम में फेल हुआ था। इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि उसे पहले पास बताया गया और प्रमाण पत्र जारी करने के बदले फीस भी ली गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बीसीआर के सचिव को पेश होने के आदेश दिए हैं।





